न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस , कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

प्रकरण संख्या :– 116/2021 (जी0सी0एम0एस0 नं0 2021/209)

उनवानी प्रकरण :–

राकेश कुमार पुत्र श्री साहब सिंह जाति गुर्जर निवासी सिहोली थाना बसेडी जिला धौलपुर ———————————————— .प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलैक्ट्रैट धौलपुर ————————————————अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री अशोक सक्सैना अभिभाषक ।
2. अप्रार्थी की ओर से :–सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।

निर्णय दिनांक 14.03.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र श्री साहब सिंह जाति गुर्जर निवासी सिहोली थाना बसेडी जिला धौलपुर द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 3/2001 जो कि दिनांक 06.08.2014 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 18.07.2017 को प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धोलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 2203 दिनांक 08.08.2017 से प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुसंषा की। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 3/2001 को दिनांक 27.8.2018 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे ।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

उक्त आदेश दिनांक 27.8.2018 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 05.10.2021 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर अप्रार्थी के आदेश दिनांक 27.8.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों एवं वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 05.10.2021 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से श्री अशोक सक्सैना अभिभाषक उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी की ओर से सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी उपस्थित हुई। प्रकरण में अनुज्ञा पत्र बहाली/नवीनीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 22.11.2021 से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.12.2021 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी राकेश कुमार के विरूद्ध तीन प्रकरण दर्ज हुये है (1) मुकदमा नम्बर 250/2008 धारा 323,341आईपीसी में चार्जशीट नं0 178/दिनांक 16.09.2008 को किता कर पेश न्यायालय किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 8.12.2009 को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया गया है (2) मुकद्वमा नम्बर 41/12 धारा 143,323,31,336,427,120आईपीसी चार्जशीट नं0 120/29.6.12 में किता पेश न्यायालय किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2018 को सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया। (3) मु0न0 44/12 धारा 143,323,341,336,504 आईपीसी चार्जशीट नम्बर 161/16.11.12 किता कर पेश न्यायालय किया गया जिसमें दिनांक 13.12.2018 को सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 3/2001 जो कि दिनांक 6.8.2014 तक नवीनीकृत था को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण कराये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 2203 दिनांक 08.08.2017 में मु0न0 250/2008 व मु0नं0 41/2012 का हवाला दिया गया है उक्त प्रकरणों का वर्ष 2009 एवं 2018 में निस्तारण हो चुका है। वर्ष 2008 एवं 2012 के पश्चात् प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नियमित रूप से नवीनीकरण होता आ

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

रहा है। उक्त प्रकरणों के परिपेक्ष्य में नवीनीकरण नहीं किये जाने की अभिशंषा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि उक्त अवधि में प्रार्थी द्वारा शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी के द्वारा लाइसेन्सी हथियार का किसी भी अपराध में उपयोग नहीं लिया गया है। प्रार्थी के अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों 2013(।।) सीएलआर राजस्थान पेज 393, 2016(।।।) सीएलआर राजस्थान पेज 1229, 2005(।।) सीएलआर राजस्थान पेज 907 का हवाला देते हुये कहा कि उक्त निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि केवल अपराधिक मामले लम्बित रहने मात्र से अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा रहा है। शस्त्र दिनांक 18.9.2018 से पुलिस थाना वसेडी में जमा है। प्रार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने से पूर्व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। प्रार्थी को जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। शस्त्र थाने में जमा है जिसके खराब होने की आशंका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 3/2001 को वहाल/नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, प्रार्थी के विरूद्ध थाना हाजा पर आपराधिक पृष्ठभूमि होना पाया गया है। प्रार्थी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने के कारण एवं अनुज्ञापत्रधारी के द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग की संभावना को देखते हुये कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाये रखने हेतु लोकहित में आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश दिनांक 27.8.2018 के जरिये प्रार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत है, जो कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 27.08.2018 को कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगणों की वहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 3/2001 जो कि दिनांक 6.8.2014 तक नवीनीकृत था को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण कराये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट कमांक 2203 दिनांक 08.08.2017 के अनुसार प्रार्थी के विरूद्व आपराधिक मुकदमा नम्बर 250/2008 व मु0नं0 41/12 पंजीबद्व न्यायालय में विचाराधीन होना बताया गया तथा पुनः जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट कमांक 2784 दिनांक 17.7.2018 में प्रार्थी के विरूद्व मु0न0 250/2008 में न्यायालय द्वारा दिनांक 8.12.09 को प्रार्थी को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया गया एवं

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

मु0न0 41/12 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं की गई है। जबकि दोनो रिपोर्ट के बिन्दु संख्या–1 में प्रार्थी द्वारा इस अवधि में शस्त्र का दुरूपयोग नहीं करना पाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट कमांक 6401 दिनांक 17.12.2021 में यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के विरूद्ध तीन प्रकरण दर्ज हुये है**(1) मुकदमा नम्बर 250/2008** धारा 323,341आईपीसी में चार्जशीट नं0 178/दिनांक 16.09.2008 को किता कर पेश न्यायालय किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा **दिनांक 8.12.2009 को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त** किया गया है (2) **मुकद्वमा नम्बर 41/12** धारा 143,323,31,336,427,120आईपीसी चार्जशीट नं0 120/29.6.12में किता पेश न्यायालय किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा **दिनांक 13.12.2018 को सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त** किया गया। (3) मु0न0 44/12 धारा 143,323,341,336,504 आईपीसी चार्जशीट नम्बर 161/16.11.12 किता कर पेश न्यायालय किया गया जिसमें **दिनांक 13.12.2018 को सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त** किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जा सके कि फलां मुकदमें में प्रार्थी को सक्षम अदालत द्वारा दोषी करार दिया जाकर सजा मुकर्रर की जा चुकी हो। प्रार्थी के विरूद्व ऐसा कोई तथ्य साबित नहीं होता कि प्रार्थी के खिलाफ सक्षम अदालत में चल रहे मुकद्वमा जिसका उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है में अपराध साबित हो गया हो। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों 2013(।।) सीएलआर राजस्थान पेज 393, 2016(।।।) सीएलआर राजस्थान पेज 1229, 2005(।।) सीएलआर राजस्थान पेज 907 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि केवल अपराधिक मामले लम्बित रहने मात्र से अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उस पर लगाये गये अपराध के संदर्भ में दोषी करार न दे दिया जाय तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसा भी कोई तथ्य सामने नहीं आया कि प्रार्थी के द्वारा लाईसेंसी हथियार किसी भी अपराध में उपयोग में लिया गया हो। प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 3/2001 वर्ष 2001 में जारी किया गया है जो नियमानुसार नवीनीकरण भी होता रहा है तथा दिनांक 06.8.2014 तक नवीनीकृत है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को वहाल/नवीनीकरण किया जाना उचित समझते हैं ।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र श्री साहब सिंह जाति गुर्जर निवासी सिहोली थाना बसेडी जिला धौलपुर के आर्म्स अनुज्ञापत्र को वहाल/नवीनीकरण किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश कमांक 3556–61 दिनांक 27.08.2018 निरस्त किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 3/2001 को बहाल करने एवं दिनांक 06.08.2014 से निरन्तर नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14..03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर